भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झाँसी

(भारत सरकार का उपक्रम)

विज्ञापन संख्या 04/2022, दिनांक 15.10.2022

बीएचईएल झांसी, शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार सत्र 2022-23 हेतु, डिप्लोमा /डिग्री (इंजीनियरिंग) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नवत तकनीशियन/स्नातक शिशिक्षु प्रशिक्षण (Technician/Graduate Apprenticeship) हेतु आवेदन आमंत्रित करता है:-

स्नातक प्रशिक्षु:

क्र.सं	शाखा	रिक्तियाँ	प्रशिक्षण अवधि	अनिवार्य अहर्ताएं
1	इलेक्ट्रिकल	01	एक वर्ष	1. अभ्यर्थी की आयु दिनांक **01.10.2022** तक 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक न हो। आयु की ऊपरी सीमा में छूट शासकीय नियमान्तर्गत दी जायेगी। 2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से चार वर्ष की इंजीनियरिंग डिग्री, नियमित अभ्यर्थी के रूप में, तालिका में दर्शायी शाखाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3. हाई स्कूल में प्राप्त अंक प्रतिशत : अ. सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग – 60% या उससे अधिक ब. अनुसूचित जाति/ जन जाति – 55% या उससे अधिक 4. स्नातक इंजीनियरिंग, में प्राप्त अंक प्रतिशत: अ. सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग – 60% या इससे अधिक ब. अनुसूचित जाति/ जन जाति - 55% या इससे अधिक 5. इस आवेदन के पूर्व किसी संस्था में शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो अथवा प्रशिक्षण हेतु नाम पंजीयन नहीं हआ हो। 6. www.mhrdnats.gov.in में भी पंजीकृत होना अनिवार्य है। **नोट: दुरस्थ शिक्षा/पत्राचार पद्धति के तहत अर्जित बी.ई. / बी.टेक. इंजीनियरिंग डिग्री, शिक्षुता प्रशिक्षण (अप्रैंटिस ट्रैनिंग) के लिये मान्य नही होगी।**
2	मैकेनिकल	02	एक वर्ष	
3	इलेक्ट्रोनिक्स	01	एक वर्ष	
4	सिविल	01	एक वर्ष	
	कुल पद	**05***		

तक्नीशियन प्रशिक्षु:

क्र.सं	शाखा	रिक्तियाँ	प्रशिक्षण अवधि	अनिवार्य अहर्ताएं
1	इलेक्ट्रिकल	02	एक वर्ष	1. अभ्यर्थी की आयु दिनांक **01.10.2022** तक 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक न हो। आयु की ऊपरी सीमा में छूट शासकीय नियमान्तर्गत दी जायेगी। 2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से तीन वर्ष का डिप्लोमा, नियमित अभ्यर्थी के रूप में, तालिका में दर्शायी शाखाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, एवं मोर्डन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सैकेट्रियल / प्रैक्टिस के लिए
2	मैकेनिकल	02	एक वर्ष	
3	इलेक्ट्रोनिक्स	02	एक वर्ष	
4	इन्सर्टुमेंटेशन और कण्ट्रोल	01	एक वर्ष	

5	कम्प्युटर एप्लीकेशन	02	एक वर्ष	दो वर्ष का डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3. हाई स्कूल में प्राप्त अंक प्रतिशत : अ. सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग – 60% या उससे अधिक ब. अनुसूचित जाति/ जन जाति – 55% या उससे अधिक 4. डिप्लोमा इंजीनियरिंग, में प्राप्त अंक प्रतिशत: अ. सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग – 60% या इससे अधिक ब. अनुसूचित जाति/ जन जाति - 55% या इससे अधिक 5. इस आवेदन के पूर्व किसी संस्था में शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो अथवा प्रशिक्षण हेतु नाम पंजीयन नहीं हआ हो। 6. www.mhrdnats.gov.in में भी पंजीकृत होना अनिवार्य है । **नोट: दुरस्थ शिक्षा/पत्राचार पद्धति के तहत अर्जित डिप्लोमा शिक्षुता प्रशिक्षण (अप्रैंटिस ट्रैनिंग) के लिये मान्य नही होगी ।**
6	मोर्डन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सैकेट्रियल / प्रैक्टिस	01	एक वर्ष	
	कुल पद	**10***		

*उपरोक्त संख्या सांकेतिक है एवं उपरोक्त में आवश्यकतानुसार परिवर्तन प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में है |

नोट :

1. ऐसे आवेदक जिन्होने अपनी बीई/बीटेक डिप्लोमा/ डिग्री (इंजीनियरिंग) की परीक्षा वर्ष **2020** के पूर्व उत्तीर्ण की है वे शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। अत: ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें। भेल झांसी के कर्मचारियों (मृतक / सेवानिवृत्त / कार्यरत) के आश्रितों (पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी) को उनकी श्रेणी में **03 वर्ष** की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें किसी संस्थान से, उक्त 01 वर्षीय शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण के लिए पात्र नही होंगे । अत: ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें।

3. विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर, जिसमें प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी चयन उपरांत संस्थान में उपस्थित नहीं हुए, प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु वरीयता दी जाएगी।

लागू आरक्षण प्रतिशत एवं आयु में छूट:

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)	आर्थिक कमजोर वर्ग	शारीरिक विकलांग
आरक्षण	21%	1%	27%	10%	4%
आयु में छूट	5 वर्ष	5 वर्ष	3 वर्ष	___	10 वर्ष

- बी.एच.ई.एल. झांसी के कर्मचारियों (मृतक / सेवानिवृत्त / कार्यरत) के आश्रितों (पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी) को उनकी श्रेणी में उच्चतम आयु सीमा में **03 वर्ष** की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।
- शारीरिक विकलांग आवेदकों को, जिनकी न्यूनतम विकलांगता 40% हो, क्षैतिज आधार पर 4% आरक्षण दिया जाएगा। छूट प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी **विकलांगता प्रमाणपत्र** प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- आर्थिक कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिये 10% आरक्षण का प्रावधान है। छूट प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा कम से कम तहसीलदार के पद पर आसीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का दिनांक **01.10.2021** से पूर्व जारी हुआ जाति प्रमाण पत्र, या वैधता समाप्त हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा|
- बी.एच.ई.एल. झांसी के सेवा काल में मृतक कर्मचारियों, नियमित एवं सेवा निवृत कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र,पुत्री/पति/पत्नी), के लिए अधिकतम 20% रिक्तियां आरक्षित है।

सामान्य निर्देश

- चयनित (शार्टलिस्टेड) अभ्यर्थियों के मूल प्रपत्रों की जांच में असफल होने पर उनकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी एवं उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से वरीयतानुसार अभ्यर्थियों को प्रपत्र जांच हेतु बुलाया जा सकता है |
- रिक्तियों की यह संख्या केवल अतंरिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। तदनुसार विभिन्न वर्गो /श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित की जा सकती है।
- प्रशिक्षण बी.ओ.ए.टी. (BOAT) कानपुर में पंजीयन होने पर आधारित है, यदि किसी कारण पंजीयन नहीं हो पाता है तो आपको प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया जाएगा ।
- बी.एच.ई.एल. झांसी के प्रबंधन के पास बिना कोई कारण दिए चयन प्रक्रिया के संशोधन/ पुनर्निधारण/ निरस्त/ निलबंन करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
- विज्ञापन अथवा भेजे गए आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही के निपटारे हेतु झांसी स्थित न्यायालय/अधिकरण/फोरम को ही इसका एकमात्र अधिकार होगा।
- आवेदक, चयन हेतु बी.एच.ई.एल द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगें।
- चयनित अभियर्थी को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व, शिशिक्षु अधिनियम, 1961 एवं सम्बंधित नियम के तहत निर्धारित प्रारुप में, सक्षम चिकित्साधिकारी के द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण निर्धारित स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरने पर निर्भर करेगा।
- चयनित नहीं होने वाले अभ्यर्थीयों से किसी भी तरह का पत्राचार स्वीकार नही किया जाएगा |
- **प्रशिक्षण के उपरांत बी.एच.ई.एल. झांसी किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।**

चयन की चरणबद्ध प्रक्रिया:-

अ. प्रथम चरण :-

सर्वप्रथम www.mhrdnats.gov.in रजिस्ट्रेशन करें| उक्त रजिस्ट्रेशन के उपरांत शिशिक्षुओं को रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा | रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, डिप्लोमा/ डिग्री के अंतिम वर्ष की अंकतालिका की मूल प्रति तथा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा | शिशिक्षुओं को सलाह दी जाती है कि वे उक्त रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति आगामी कार्यवाही के लिए सुरक्षित रखें |

ब. <u>द्वितीय चरण :-</u>

तदोपरान्त, उक्त रजिस्ट्रेशन नम्बर का उपयोग करते हुए आवेदक बीएचईएल झांसी की वेबसाइट https://jhs.bhel.com पर "Technician & Graduate Apprentice 2022-23" के अंतर्गत उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र (Apply Online) भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के पश्चात पावती पत्र की प्रिंट (Acknowledgement Slip), अग्रिम प्रक्रिया हेतु सहेज कर रखें |

नोट:- फैक्स / ईमेल / या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

स. <u>तृतीय चरण :-</u>

उपयुक्त अभ्यर्थी, जो कि विज्ञापन की सभी अहर्ताओं को पूर्ण करते हों, को योग्यता परीक्षा (Degree / Diploma) में प्राप्त अंकों के आधार पर (सभी प्रकार की रिक्तियों एवं श्रेणियों के 1:10 के अनुपात में) लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा । अभ्यर्थियों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार वरीयता सूचि के अनुसार किया जायेगा । लिखित परीक्षा में प्राप्त समान अंकों की स्थिती में, जिस अभ्यर्थी के ।T। में अधिक अंक हैं , को वरीयता दी जाएगी । यदी उसमें भी समानता पाई जाती है, तो ऐसी स्थिती में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी । उसके उपरांत हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं लिखित परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन सूची (Final Selection List) संबंधी सूचना हमारी वेबसाइट https://jhs.bhel.com पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

वरीयता सूचि जारी होने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्रों की जांच हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों की मूल प्रति एवं स्वयं सत्यापित दो छाया प्रतियों के साथ निर्धारित दिनांक को भेल झाँसी में उपस्थित होकर सभी प्रपत्रों की जांच पूर्ण होने पर ही भेल झाँसी द्वारा शिशिक्षुता में लिया जायेगा ।

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के पश्चात पावती पत्र की प्रिंट (Acknowledgement Slip)
2. www.apprenticeshipindia.gov.in, द्वारा जारी किया हुआ पंजीयन क्रमांक |
3. हाई स्कूल अंक तालिका |
4. हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो) अथवा जन्म प्रमाण पत्र |
5. डिप्लोमा /डिग्री (इंजीनियरिंग) के सभी वर्षों/ सेमिस्टरों कि मार्कशीटों एवं डिग्री की छायाप्रती (स्वप्रमाणित)।
6. आधार कार्ड |
7. अन्य पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/ जन जाति/ शारीरिक विकलांगता / ई.डब्लू.एस. प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) |
8. आवेदक यदि बी.एच.ई.एल झांसी के वर्तमान/ मृतक कर्मचारियों के पुत्र/ पुत्री/ पति/ पत्नी हो तो उन्हें निम्न में से किसी एक दस्तावेज की प्रति संलग्न करना होगा:-
   - कर्मचारी माता/पिता/पति/पत्नी के मेडिकल टोकन की प्रति जिसमें आवेदक का नाम व फोटो अंकित हो।
   - यदि कर्मचारी माता/पिता/पति/पत्नी मृतक है, तो कार्यालयभाग-2 आदेश की प्रति एवं साथ में कोई ऐसा दस्तावेज जिससे मृतक कर्मचारी एवं आवेदक का संबंध अंकित हो।
9. चयनित (शार्टलिस्टेड) अभ्यर्थियों के मूल प्रपत्रों की जांच में असफल होने पर उनकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी एवं उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से वरीयतानुसार अभ्यर्थियों को प्रपत्र जांच हेतु बुलाया जा सकता है |
10. फैक्स, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएगें।
11. ऑन लाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि: **16.10.2022** (मध्य रात्रि 00:05)
12. ऑन लाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि: **31.10.2022** (मध्य रात्रि 23:55)
13. लिखित परीक्षा की तिथी: **12.11.2022 (दिन -शनिवार)**
14. **लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं लिखित परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन सूची (Final Selection List) संबंधी सूचना हमारी वेबसाइट https://jhs.bhel.com पर उपलब्ध करा दी जायेगी।**

****